बिहार विधान परिषद्

207वां सत्र

अल्पसूचित प्रश्न
26 जुलाई 2024

[शिक्षा - खान एवं भूतत्व - कला, संस्कृति एवं युवा - विज्ञान एवं प्रावैधिकी - खेल तकनीकी शिक्षा].

अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या- 14

ऐच्छिक स्थानान्तरण का विचार

48. प्रो. (डा.) नवल किशोर यादव (शिक्षक पटना):

क्या **शिक्षा** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित सभी कोटि के स्थानीयनिकाय शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्णता के आधार पर विशिष्ट शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली '2023' अधिसूचित की गई है;

(ख) क्या यह सही है कि इस हेतु प्रथम चरण की सक्षमता परीक्षा ली जा चुकी है और द्वितीय की सक्षमता परीक्षा प्रक्रियाधीन है;

(ग) क्या यह सही है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों को Randomisation द्वारा पदस्थापित किये जाने का प्रावधान है जिससे शिक्षकों को गृह जिला के साथ ही अन्य जिलों में भी दूर-दराज के स्कूलों में पदस्थापन की शंका बनी हुई है;

(घ) क्या यह सही है कि पूर्व से शिक्षकों के स्वैछिक (ऐच्छिक) स्थानान्तरण का प्रावधान था जिसमें महिला एवं दिव्यांगों को प्राथमिकता दी जाती थी लेकिन सक्षमता पास शिक्षकों को इस सुविधा से बंचित किया जा रहा है और उनमें सुदूर पदस्थापन का भय व्याप्त हो

गया है जिससे शिक्षकों में गहरा आक्रोश व्याप्त है;

(ड.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पूर्व की भांति शिक्षकों को उनके गृह प्रखंड/जिला में स्वैच्छिक/ऐच्छिक स्थानान्तरण करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

मृत शिक्षक एवं छात्र को आर्थिक सहायता

49. **प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):**

क्या **शिक्षा** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि जानलेवा लू-लहर में भी विद्यालयों में शिक्षक की अनिवार्य उपस्थिति की वजह से मुजफ्फरपुर जिले के शिक्षक अविनाश कुमार अमर, उच्च विद्यालय मटिहानी, की दुखद मृत्यु हो गयी;

(ख) क्या यह सही है कि इस शीतलहरी में मुजफ्फरपुर जिले के छात्र, पारसनाथ उच्च विद्यालय, बोचहाँ की भी मृत्यु हुई थी;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त दोनों शिक्षक एवं छात्र के परिवार के भरण-पोषण हेतु अभी तक सरकार के द्वारा सरकारी राशि नहीं मिली है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार मृत शिक्षक एवं छात्र को आर्थिक सहायता देने एवं विल्मव करने वाले दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध कानूनी कारवाई करना चाहती है?

लंबित प्रोन्नति का लाभ

50. **डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):**

क्या **शिक्षा** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि लगभग दो दशकों से स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों को राज्यकर्मी के रूप में लाये जाने हेतु विशेष परीक्षा में उर्तीर्णता के आधार पर विद्यालय अध्यापक' अथवा 'विशिष्ट शिक्षक के लिए अधिसूचित किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त कोटि के शिक्षकों के लिए पूर्व से ही स्वैच्छिक स्थानान्तरण तथा प्रोन्नति का भी प्रावधान है लेकिन अभी तक इसका लाभ उन्हें नहीं मिला है;

(ग) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उक्त कोटि के शिक्षकों की चिरलंबित प्रावधानों यथा स्वैच्छिक स्थानान्तरण के साथ-साथ लंबित प्रोन्नति का यथाशीघ्र निष्पादन करना चाहती है; यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

51. **डा. प्रमोद कुमार (मनोनीत):**

क्या **खेल** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि जिला- जहानाबाद में युवाओं के लिए कोई भी इनडोर एवं आउटडोर स्टेडियम नहीं है ;

(ख) क्या यह सही है कि इनडोर एवं आउटडोर स्टेडियम नहीं होने के कारण युवा वर्ग अपने खेल की प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाते हैं जिससे उन लोगों का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जिला- जहानाबाद में इनडोर एवं आउटडोर स्टेडियम का निर्माण कराना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर

52. **श्री जीवन कुमार (शिक्षक गया):**

क्या **शिक्षा** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के उच्च माध्यमिक (+2) विद्यालयों में निर्धारित पारिश्रमिक पर विभागीय संकल्प सं०-51, दिनांक 25.01.2018 के प्रावधान के तहत निर्धारित अर्हता के आधार पर भौतिकी, रसायनशास्त्र, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी विषयों में वर्ष 2018 में विभाग द्वारा अतिथि शिक्षकों की बहाली की गई थी ;

(ख) क्या यह सही है कि लगभग 06 वर्ष सेवा लेने के उपरांत निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के पत्रांक 325, दिनांक 30.03.2024 द्वारा अतिथि शिक्षकों को 31.03.2024 के पश्चात् सेवा मुक्त कर दिया गया है ;

(ग) क्या यह सही है कि BPSC द्वारा आयोजित TRE.01, TRE.02 में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली हुई है, परंतु जिन विषयों में अतिथि शिक्षकों की सेवा ली जा रही थी उन विषयों में अब भी कई पद रिक्त हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उन संबंधित विषयों के रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों को समायोजित करना चाहती है तथा इनकी सेवा हेतु सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उम्र सीमा को शिथिल कर सेवा अनुभव का लाभ प्रदान करते हुए ''सक्षमता परीक्षा'' में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान करना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

बज्जिका भाषा अकादमी

53. **श्री रवीन्द्र प्रसाद सिंह (विधान सभा):**

क्या **शिक्षा** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के तिरहुत प्रमंडल के अलावे समस्तीपुर एवं सारण में भी बज्जिका भाषा बोली जाती है;

(ख) क्या यह सही है कि वैशाली, समस्तीपुर, सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर, सारण, शिवहर एवं पूर्वी चंपारण के कुछ हिस्सों में बज्जिका भाषा मातृभाषा के रूप में स्थापित है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बज्जिका भाषा अकादमी बनाने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

वेतन वृद्धि का लाभ

54. **प्रो. (डा.) वीरेन्द्र नारायण यादव (स्नातक सारण):**

क्या **शिक्षा** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदत्त/निर्देशित पाँच (5) वेतन वृद्धि मिल रहा है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों का वेतन वृद्धि का लाभ देना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

55. **श्री विजय कुमार सिंह (भागलपुर,बॉका स्थानीय प्राधिकार):**

क्या **खेल** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि भागलपुर प्रमण्डल में तारड़ कॉलेज मैदान (भागलपुर) 200 मीटर, सबलपुर मैदान (बांका) 200 मीटर एवं रमचुआ मैदान (शम्भुगंज, बांका) 600 मीटर में बच्चों के खेलने के लिए स्टेडियम के निर्माण के संबंध में प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है ;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त स्टेडियम का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

वेतन भुगतान कबतक

56. **डा. समीर कुमार सिंह (विधान सभा) :**
श्री सच्चिदानंद राय(स्थानीय प्राधिकार : सारण) :

क्या **शिक्षा** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-

(क) क्या यह सही है कि अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभग बिहार, पटना के पत्रांक-734 ,दिनांक-08.07.2024 एवं पत्रांक-746, दिनांक-11.07.2022 के आलोक में श्री विकास कुमार पंचायत शिक्षक प्र०वि० जगजीवनपुर, सरमेरा, जिला-नालंदा के वैध कार्यावधि का वेतन भुगतान करने हेतु प्री-रीसिट की माँग की गई है ;

(ख) क्या यह सही है जिला शिक्षा पदाधिकारी नालंदा के पत्रांक-3772 दिनांक-25.09.2023 एवं पत्रांक-267 दिनांक-24.01.2024 द्वारा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सरमेरा से प्री-रीसिट की माँग की गई है, परन्तु प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्री-रीसिट आज तक उपलब्ध नहीं कराया गया है ;

(ग) क्या यह सही है कि प्री-रीसिट उपलब्ध नहीं होने के कारण श्री विकास कुमार का वेतन आजतक लंबित है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्री-रीसिट अबतक उपलब्ध नहीं कराने वाले प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सरमेरा को निलंबित करते हुए श्री कुमार का वेतन भुगतान अविलंब करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

खेल मैदान की चहारदीवारी

57. **श्री राधाचरण साह (स्थानीय प्राधिकार, भोजपुर एवं बक्सर):**

क्या **खेल** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-

(क) क्या यह सही है कि भोजपुर जिला अंतर्गत अगिआँव प्रखण्ड के नारायणपुर खेल मैदान कि चहारदीवारी निर्माण तथा उस मैदान में खेल सुविधाओं का विकास नहीं हो पाया है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त खेल मैदान कि चहारदीवारी एवं स्टेडियम कि सुविधा नहीं होने से युवाओं को परेशानी होती है;

(ग) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार भोजपुर जिला अंतर्गत अगिआँव प्रखण्ड के नारायणपुर खेल मैदान कि चहारदीवारी निर्माण तथा खेल सुविधाओं को शीघ्र उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

पदस्थापन की सुविधा

58. **प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):**

क्या **शिक्षा** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-

(क) क्या यह सही है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम-04 में यह उपबंध है कि परीक्षा में शामिल होने के समय ही जिले के तीन विकल्प देने होंगेः

(ख) क्या यह सही है कि पूरे राज्य में पूर्व से पदस्थापित स्थानीय निकाय के शिक्षक और शिक्षिकाओं को विस्थापित कर अन्यत्र पदस्थापन से शैक्षिक, पारिवारिक एवं आवासीय असुविधाओं के कारण शिक्षा के गुणात्मक विकास अभियान में बाधा उत्पन्न होती हैः

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार शिक्षा एवं शिक्षकों के व्यापक हित में ऐच्छिक पदस्थापन की सुविधा देना चाहती है?

विसंगतियों को दुर कबतक

59. **प्रो. (डा.) नवल किशोर यादव (शिक्षक पटना):**

क्या **शिक्षा** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में एन.सी.सी. एवं स्काउट मास्टर कार्यरत हैं ;

(ख) क्या यह सही है कि विद्यालय/महाविद्यालयों में एन.सी.सी. को इलेक्टिव क्रेडिट कोर्स के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया गया है ;

(ग) क्या यह सही है कि बिहार सरकार सेकेंड्री, प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा विभाग के अधिसूचना संख्या-4575, दिनांक-19.10.1997 के खण्ड-4 के उप खण्ड-9 के अनुसार एन.सी.सी. के प्रशिक्षित शिक्षकों का स्थानांतरण/ पदस्थापन एन.सी.सी. निदेशालय के परामर्श से किया जा सकेगा ;

(घ) क्या यह सही है कि बिहार विद्यालय विशिष्ठ शिक्षक नियमावली-2023 में उक्त आदेश को विलोपित कर दिया गया है ;

(ङ) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार विद्यालयों में कार्यरत एन.सी.सी. ऑफिसर एवं स्काउट मास्टर को विद्यालय विशिष्ठ शिक्षक निपयमावली 2023 के द्वारा स्थानांतरण के कारण उत्पन्न विसंगतियों तथा उसे रोकने का आदेश देना चाहती है ?

सामूहिक बीमा योजना की राशि

60. **प्रो. (डा.) वीरेन्द्र नारायण यादव (स्नातक सारण):**

क्या **शिक्षा** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-

(क) क्या यह सही है कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा के शिक्षकों का अवकाश प्राप्ति के बाद भी सामूहिक बीमा योजना की राशि नहीं दी जा रही है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार शिक्षकों का सामूहिक बीमा योजना की राशि का भुगतान कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

कम्प्यूटर शिक्षकों की प्रोन्नति

61. **श्री जीवन कुमार (शिक्षक गया):**

क्या **शिक्षा** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत कम्प्यूटर विषय के शिक्षकों की बहाली विभागीय नियमानुसार व निर्धारित अहर्त्ता के आलोक में की गयी है ;

(ख) क्या यह सही है कि कम्प्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति हेतु बी०एड० की अनिवार्यता नहीं थी एवं योगदान तिथि से ही इन्हें प्रशिक्षित वेतन का लाभ दिया जा रहा है ;

(ग) क्या यह सही है कि अन्य विषय के शिक्षकों को बी०एड० करने के लिए सवैतनिक अवकाश देय है, जबकि कम्प्यूटर शिक्षकों को बी०एड० करने के लिए सवैतनिक अवकाश देय नहीं है, क्योंकि विभाग योगदान की तिथि से ही इन्हें प्रशिक्षित मानती है;

(घ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत कम्प्यूटर विषय के शिक्षकों की सेवा अनुभव की गणना उनके योगदान तिथि से ही करते हुए प्रोन्नति सहित अन्य लाभ प्रदान करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

पटना. | **अखिलेश कुमार झा ,**
26 जुलाई, 2024. | **सचिव, बिहार विधान परिषद्**